

राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०,
संख्या:- जी/५६०३/जी०एस०
दिनांक:- १२-११-२०२०

राजभवन, लखनऊ के क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-२ को निष्प्रयोज्य घोषित आवास को ध्वस्त करते हुए समस्त सामग्री को हटाकर कार्यस्थल को समतल एवं साफ करते हुए कार्य पूर्ण किये जाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक १९.११.२०२० को अपरान्ह ०३:३० बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) राजभवन, लखनऊ कार्यालय में की जायेगी।

शर्तें व नियम

1. राजभवन परिसर स्थित क्लब के बगल में, जिसका निरीक्षण नीलामी तिथि के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः १०:०० बजे से सायं ५:०० बजे के मध्य सहायक अभियन्ता (सिविल) राजभवन, लखनऊ के कार्यालय में सम्पर्क कर किया जा सकता है।
2. नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को रू० ९४००.०० मात्र (रू० नौ हजार चार सौ मात्र) जमानत/धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगी जो कि विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय उ०प्र०, लखनऊ के नाम में जारी होनी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक १८.११.२०२० को सांयकाल ५.०० बजे तक सहायक अभियन्ता (सिविल), राजभवन, लखनऊ के कार्यालय में जमा किया जाना होगा। नीलामी में वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा बैंक ड्राफ्ट दिनांक १८.११.२०२० तक जमा हो चुके होंगे।
4. उच्चतम बोलीदाता को तुरन्त पूर्ण धनराशि का २५% (बैंक ड्राफ्ट की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) जमा करना होगा। अधिकतम बोलीदाता द्वारा अगर निर्देशानुसार धनराशि जमा नहीं की जाती है तो जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा।
5. नीलामी को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० महोदय का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
6. इस निष्प्रयोज्य सम्पत्ति का शासकीय मूल्य रू० ९४०००.०० मात्र (रू० चौरान्णवे हजार) है। नीलामी मूल्य नियमानुसार देय टैक्स भी अलग से देय होगा। स्वीकृति उपरान्त समस्त सामग्री को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सम्पूर्ण धनराशि (टैक्स सहित) जमा कराने के बाद अधिकतम २० दिनों (बीस दिनों) के अन्दर कार्यस्थल से हटाना होगा।

निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न हो पाने की दशा में मूल्य का १% प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा किन्तु निर्धारित समय के उपरान्त अतिरिक्त समयवृद्धि अधिकतम १५ दिनों की होगी तत्पश्चात् समस्त अवशेष सामग्री जब्त कर ली जायेगी।

- अधिकतम बोलीदाता को उक्त के अतिरिक्त रू० २५०००.०० मात्र (रू० पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि नगद बतौर जमानत जमा करानी होगी, यह धनराशि समस्त कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर वापिस कर दी जायेगी। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न हो पाने की दशा में लगने वाले १% अधिभार की धनराशि (वांछित सीमा तक) की कटौती इसी जमानत धनराशि से की जायेगी। अधिभार की धनराशि यदि जमानत धनराशि से अधिक होगी तो उसे स्वीकृत बोलीदाता को अलग से जमा कराना होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को, नीलामी स्वीकृति के उपरान्त, समस्त भवनों को ध्वस्त करते समय इस बिन्दु विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ध्वस्तीकरण से समीप की अन्य भवनों संरचनाओं, सीवर लाइन, पाइप लाइन आदि को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे तथा मलबा निस्तारण की प्रक्रिया से राजभवन/विधान भवन/मुख्यमंत्री सचिवालय (लाल बहादुर शास्त्री भवन) के सामान्य क्रिया-कलाप बाधित न हो।

सहायक अभियन्ता (सिविल)
राजभवन, लखनऊ

(बद्री नाथ सिंह)
विशेष सचिव, श्री राज्यपाल।

राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या:- जी-4602/जी०एस०

दिनांक:- 12/11/2020

नीलामी-सूचना

राजभवन, लखनऊ के क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास कै-2 को निष्प्रयोज्य घोषित की सार्वजनिक नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिनांक 19.11.2020 को अपरान्ह 03:30 बजे स्टाफ क्लब, निकट गेट नं०-6, राजभवन, लखनऊ में की जायेगी।

नियम व शर्तें राजभवन की वेबसाइट www.upgovernor.nic.in पर भी देखी जा सकती हैं अथवा सहायक अभियन्ता (सिविल), राजभवन कार्यालय में दिनांक 18.11.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे से साँय 5:00 बजे के मध्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(बद्री नाथ सिंह)

विशेष सचिव, श्री राज्यपाल
राजभवन, लखनऊ।

[Signature]
16/11/2020
सहायक अभियन्ता (सिविल)
राजभवन, लखनऊ

G/A.E(Civil)
12.11.2020

(पवन कुमार शुक्ला)
अनुभाग अधिकारी

[Signature]
12/11/2020